राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

एफ 27(36) ग्रावि / ग्रुप–5 / जीकेएन / बीएसआर / प्रगति / 2015–16 जयपुर, दि.13 मार्च,2020

जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष,
जिला दर निर्णायक समिति,
जिला परिषद समस्त राजस्थान

विषय :– वर्ष 2020–21 के लिए पंचायत समिति दर अनुसूची (बीएसआर) लागू करने के संबंध में।

प्रसंग :– विभागीय समसंख्यक पत्र दि. 10.02.2020

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि ग्रामीण कार्य निर्देशिका 2010 के बिन्दु संख्या 8 के परिपेक्ष्य में वर्ष 2020–21 के लिए श्रम, सामग्री एवं उपकरणों की बेसिक दरों का निर्धारण करने एवं दर अनुसूची (बीएसआर) तैयार करने व प्रासंगिक पत्रों द्वारा दिनांक 20.03.2020 तक जिला दर निर्धारण समिति की बैठक पंचायत समितिवार बीएसआर आयोजित कर दिनांक 01.04.2020 से लागू/प्रभावी करने हेतु निर्देशित किया गया था।

बीएसआर सॉफ्ट पर आदिनांक 11.03.2020 को प्रदर्शित रिपोर्ट अनुसार अभी तक मात्र 35 पंचायत समितियों की बीएसआर प्रस्तावित की गयी है एवं जिलों की स्थिति निम्नानुसार रही है:–

विवरण	जिला
आंशिक पंचायत समितियों की बीएसआर प्रस्तावित (7 जिला)	अलवर, भीलवाडा, दौसा, राजसमन्द, सवाई माधोपुर, सिरोही एवं उदयपुर।
सभी पंचायत समितियों की बीएसआर दर प्रस्तावित, किया जाना शेष (26 जिलें)	उपरोक्त के अतिरिक्त

उपरोक्तानुसार स्थिति से स्पष्ट है कि अधिकांश जिलों द्वारा विभागीय निर्देशों को गंभीरता से नही लिया जा रहा है जो खेदजनक है।

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि सभी पंचायत समितियों की बीएसआर सॉफ्टवेयर पर प्रस्तावित कराकर एवं जिला दर निर्णायक समिति से अनुमोदन उपरान्त पंचायत समितिवार दर अनुसूची (बीएसआर) अविलंब प्रभावी कराया जाना सुनिश्चित करावे।

(राजेश्वर सिंह)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं पंरावि।
2. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, ग्रा.वि.।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद समस्त ।
4. अधि. अभि. (अभि.) एवं सदस्य सचिव, जिला दर निर्णायक समिति, जि. प. समस्त ।
5. प्रोग्रामर, ग्रामीण विकास विभाग को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि)

C:\Users\admin\Desktop\BSR Letter 2018.docx / 345